REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 2 | NOVEMBER - 2023

# संविधान में अल्पसंख्यक परिभाषा, विमर्श और अवधारणा

**मोहम्मद जावेद**
**शोधार्थी,पी-एचडी.**
**महामना मदन मोहन मालवीय**
**हिन्दी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी.**

**सारांश:**

*अल्पसंख्यकों की पहचान और उनके अधिकार शुरू से ही वैश्विक राजनीतिक एजेंडे में रही है। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपीय देशों के बीच हुए विभिन्न संधियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों का जिक्र मिलता है। उस वक्त तक अल्पसंख्यक विषय पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। लेकिन 19वीं सदी तक राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों पर संधियों में विस्तार से वर्णन मिलता है। फ्रांस और रोमन सम्राज्य के बीच हुई वेस्टफेलिया संधि में भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर चर्चा हुई है । जातीय और भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यों द्वारा बनाए गये कानूनों में 19वीं सदी से मुक़म्मल पहचान मिलनी शुरू हो गयी। इसका एक अच्छा उदाहरण ऑस्ट्रिया के संवैधानिक कानूनों (1867 के अनुच्छेद 19 में भाषाई और जातीय अल्पसंख्यक समूहों की पहचान और उनके अधिकारों की सुरक्षा का संवैधानिक प्रावधान है । सभी जातीय समूहों को समान नागरिक अधिकार है। उन्हें अपने भाषा और सामुदायिक पहचान को बचाने और विकसित करने का पूर्ण अधिकार है। विभन्न प्रांतों में बोली जाने वाली सभी भाषाओं को शिक्षा, प्रशासन और जन जीवन के संबंध में राज्य के समक्ष समान मान्यता प्राप्त है। वह प्रांत जहां कई सारे जातीय समूह निवास करतें हैं वहां शिक्षण संस्थानों को इस तरह चलाया जाए ताकि सभी जातीय समूह अपनी भाषा में शिक्षित हों। प्रांत की दूसरी भाषा को सीखने के लिए मजबूर न हो।*

भारत पूरे विश्व में अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। विश्व के लगभग हर प्रमुख धर्म के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। भारत अलग-अलग धर्म, जाति, नस्ल और भाषा के लोगों का हमेशा से घर रहा है इसलिए पूरे विश्व में सबसे अधिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत में ही रहते हैं । भारत की कुल आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी 19.3 प्रतिशत की है जो कि 23 करोड़ 35 लाख है (भारत की जनगणना, 2011) ये किसी भी देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे बड़ी आबादी है। देश के 90 जिलों की पहचान अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी वाले जिले के रूप में की गयी है। मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय की पहचान प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में है लेकिन इसके अलावा भारत में लाखों लोग ऐसे भी हैं जो खुद को अन्य समुदाय के रूप में अपनी पहचान कराते हैं। इस अध्याय में भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय उनकी पहचान और जनसंख्या पर विस्तार से चर्चा किया गया है।

भारत के संविधान या संवैधानिक दस्तावेजों में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यकों को लेकर केवल धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक पर चर्चा की गयी है इसलिए अध्ययन का केंद्र भी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय ही है।

भारत में सबसे अधिक हिन्दी भाषाई समूह है जिनकी कुल आाबदी 52 करोड़ 83 लाख है जो कि देश की आबादी 43.63 फीसद है। इसके अलावा भारत में करोड़ों असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधि, तमिल तेलुगू और उर्दू भाषाई समूह है। संविधान की आठवीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। राज्यों का पुर्णगठन 1956 में भाषाई आधार पर किया गया इसलिए भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्यों के स्तर पर की जाती है। राजभाषाओं में केवल हिन्दी और उर्दू ऐसी दो भाषाएं हैं जो कई राज्यों में बोली जाती है। (महमद: 20011) इसके अलावा भी कई भाषाई समूह है जिनकी मातृभाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। चूंकि भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्य में उनकी संख्याबल के हिसाब से की जाती है इसलिए हिन्दी भाषाई समूह को भी देश के कई हिस्सों में भाषाई अल्पसंख्यक समूह का दर्जा प्राप्त है। भाषाई समूह की तर्ज पर ही धार्मिक अल्पसंख्यक समूह की पहचान राज्य स्तर पर करने की मांग भी अब उठने लगी है ये भारत में अल्पसंख्यक विमर्श में नया आयाम है। अल्पसंख्यक विमर्श से जुड़े इन सवालों पर भी इस अध्ययन में चर्चा की गयी है।

धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के अलावा भारत में एक बड़ी आबादी जातीय और नस्लीय समूहों की भी है। भारत में अल्पसंख्यक विमर्श में इन समूहों पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है क्योंकि संवैधानिक दस्तावेजों में सिर्फ भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का ही जिक्र मिलता है।

भारत में इंडो-आर्यन, द्रेविड़, मोंगोलाइड, इंडो-तुर्क प्रमुख नस्लीय समूह के रूप में जाने जाते हैं। भारत में बहुसंख्या इंडो-आर्यन समूह की है लेकिन दूसरे नस्लीय समूहों की भी अच्छी आबादी है (होप रिसले, 1915)

भारत में भाषाई और नस्लीय सूमह की तरह कई सारे जातीय और जन-जातीय सूमह भी हैं। अकसर उत्तरपूर्व के राज्योंमें इन जातीय समूहों के बीच टकराव की खबरें आती हैं। अकेले मणिपुर में लगभग 26 जातीय समूह है इनमें मैतयी, नागा और कूकी प्रमुख जातीय समूह है। यहां कूकि और नागा प्रमुख जातीय अल्पसंख्यक समूह है (सिंह, 2014) इसी तरह असम राज्य में भी कई सारे जातीय समूह है इनकी अपनी अलग भाषा और संस्कृति है। बोडो, असमिया, कचारी, करबी, रबहा प्रमुख जातीय समूह है (सुलभा, 2018) जातीय अल्पसंख्यक समूहों का सवाल और उनके मुद्दे भी महत्वपूर्ण सवाल है खासकर उत्तरपूर्व के राज्यों में जहां जातीय पहचान धार्मिक और भाषाई पहचान पर हावी है। देश के बाकी इलाकों में जातीय और नस्लीय पहचान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है यहां धार्मिक और भाषाई पहचान ज्यादा मायने रखती है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक विमर्श केवल इन्हीं दो पहचान पर केंद्रित रहता है और संविधान में भी केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकोंका जिक्र है और इनसे जुड़े प्रावधान हैं।

**शब्द कुंजी:**संविधान, अल्पसंख्यक,विमर्श, अवधारणा

## संविधान में अल्पसंख्यक विमर्श और अवधारणा:

एक राष्ट्र क्या सचमुच आजाद है? इसे परखने की, एक ही कसौटी है कि उस राष्ट्र में अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं (लॉड एक्टन) अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में हमेशा प्राथमिकता रहती है। खुद राष्ट्र पिता महात्मा गांधी का कहना था कि कोई देश कितना सभ्य है इसकी कसौटी, ये है कि वह राष्ट्र अपने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करता है (सोराबजी, 1996)

भारत में शुरू से ही अल्पसंख्यकों की पहचान और उनके अधिकारों को लेकर बहस होती रही है और इसके लिए प्रावधान बनतें रहें। संविधान सभा की परिचर्चाओं में भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा हुई है। राष्ट्र निर्माता अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों और उनके अधिकारों को सुनिश्चत करने के लिए प्रतिबद्ध थे। अल्पसंख्यकों के सामूहिक और व्यक्तिगत अधिकारों को संविधान ने मौलिक अधिकारों के रूप में सुरक्षित किया (जेफरलटे और कुमार, 2018)

भारतीय संविधान (1950) या संवैधानिक दस्तावेज़ो में कहीं भी 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि संविधान धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक समुदायदों को मान्यता देता है। अल्पसंख्यक के संबंध में संविधान ने केवल 'धर्म और भाषा' के आधार पर अल्पसंख्यक का जिक्र किया गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना (संशोधन, 1976) में ही घोषित है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इस आश्य का विशेष संबंध देश के अल्पसंख्यकों से है। संविधान में इस बात की स्पष्ट व्यख्या है कि भारत के सभी नागरिकों को 'सोचने, अभिव्यक्ति, आस्था, श्रद्धा और प्रार्थना की आजादी है तथा अवसर और स्टेटस की समानता है

भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के सिद्धांत में अल्पसंख्यकों के अधिकार निहित हैं। इसके अलावा संविधान ने भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्टताओं के संरक्षण के लिए कुछ खास रियायतें भी दी हैं।

कानून के समक्ष समता का अधिकार अथवा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार

धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव का निषेध।

राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में नागरिकों को 'अवसर की समानता' का अधिकार है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है।

लोगों को अंतःकरण (जमीर) की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म का प्रचार, अभ्यास और प्रसार करने का अधिकार।

प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या वर्ग को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों हेतु धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार तथा अपने स्वयं के धार्मिक मामलों का प्रबंधन, संपत्ति काअधिग्रहण एवं उनके प्रशासन का अधिकार शामिल है।

राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।

भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा।

धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा, संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक-वर्ग के प्रबंध में है।

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्म, जाति, नस्ल, संस्कृति और भाषा के लोग रहतें हैं। भारतीय संविधान का भी बुनियादी ढांचा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष है। संविधान के समक्ष सभी नागरिक समान है। सभी नागरिकों को विधि के समक्ष भी समान संरक्षण मिलता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख और पारसी रहतें हैं। इसके अलावा विभिन्न भाषाई और जातीय समूह भी है।

भारत मेंअल्पसंख्यक विमर्श की एतिहासिक पृष्ठभूमि संविधान के अस्तित्व में आने से पहले ही धार्मिक अल्पसंख्यकों समूहों को चिन्हित कर उन्हें कुछ खास रियायतें दी जाती थी। जिसका उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 में भी मिलता है। कैबिनटे मिशन पलान (1946) ने अल्पसंख्यकों को दो तरह से समूहबद्ध किया था।

संविधान सभा की परिचर्चाओं में भी अल्पसंख्यकों की पहचान और उनके अधिकारों पर विस्तार से वर्णन मिलता है। संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के विषय पर तीन हिस्सों में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।19 पहली रिपोर्ट अप्रैल, 1947, दूसरी रिपोर्ट अगस्त, 1948 और तीसरी रिपोर्ट मई, 1949 में संविधान सभा में प्रस्तुत हुई (भरत, 2014) पहली रिपोर्ट में नागरिक अधिकारों का वर्णन मिलता है दूसरी रिपोर्ट में राजनीतिक अधिकारों पर चर्चा करती है और तीसरी रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों के तमाम मुद्दों पर व्याख्या होती है। ताहिर महमूदर के अनुसार संविधान द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान किसी भी तरह से और किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं की गई है। संविधान में बौद्ध, जैन, सिख और एंगलो इंडियन समुदाय को कुछ उद्देश्य के लिए रेफर किया है लेकिन इनकी पहचान और स्टेटस पर कोई बात नहीं की गयी है। मुस्लिम और ईसाई समुदाय को संविधान ने विशेष कर किसी भी मकसद के लिए रेफर नहीं किया गया है यद्यपि वह तमाम धार्मिक सम्प्रदाय को मान्यतः देता है और धर्मिक सम्प्रदाय के सभी पंथों को भी मान्यतः देता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 (सेक्शन 2) में धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान कर उनको परिभाषित किया गया है। आयोग के समक्ष वो धार्मिक समुदाय अल्पसंख्यक की श्रेणी में आतें हैं जिन्हें भारत सरकार ने अधिसूचित किया है। भारत सरकार, सामजिक कलयाण मंत्रालय ने 23 अक्तूबर 1993 की अधिसूचना में पांच धार्मिक समूहों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है।

- ईसाई
- सिख
- बौद्ध
- पारसी

- मुस्लिम

जैन धर्म को 1992 की अधिसूचना में अलग धार्मिक अल्पसंख्यक समूह का दर्जा प्राप्त नहीं था बल्कि इसे हिन्दू धर्म के ही एक पंथ के रूप में समझा जाता था लेकिन बाद में भारत सरकार ने 27 जनवरी, 2014 के अधिसूचना में जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया।

## अध्ययन की प्रस्तावना एवं महत्व:

दुनिया के प्रत्येक समाज के प्रत्येक कालखण्ड में धर्म एवं अध्यात्म की मान्यता थी, है और आगे भी रहेगी। विश्व का इतिहास देखें तो हमें यह भी पता चलता है कि नास्तिकता का भी अस्तित्व जिन समाजों में था वहाँ नास्तिक मुख्य रूप से ईश्वरीय व्यवस्था के आलोचक के रूप में ही दिखाई दिए। इस तरह धर्म के मूल अर्थ को भी लेकर अलग-अलग मत रहे। धर्म की मूल भावना पर अगर विचार करें तो हमें यह प्राप्त होता है कि धर्म एक मान्यता एवं एक विश्वास है। संस्कृत भाषा में धर्म ''धृ'' धातु से बना है। जिसका अर्थ ''धारण करना'' होता है। धर्म सिर्फ पूजा पद्धति मात्र नहीं है बल्कि धर्म का अर्थ सार्वभौम सत्य से है जिसका उल्लेख आक्सफोर्ड डिक्शनरी के 2003 संस्करण में पहली बार धर्म शब्द को सम्मिलित करते हुए लिखा गया है।

## अध्ययन का उद्देश्य:

- अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकारों की विवेचना।
- अल्पसंख्यक अर्थ एवं परिभाषा का समग्रता में अध्ययन।
- अल्पसंख्यकों के डेमोग्राफिक का अध्ययन।

## शोध अभिकल्प:

किसी भी शोध का अध्ययन तब तक सही और सुस्पष्ट नही हो सकता, जब तक उस शोध कार्य का योजना के तहत क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन न किया जाये और इस क्रमबद्ध अध्ययन में शोध अभिकल्प का पूर्ण महत्व होता है। शोध अभिकल्प शोध कार्य प्रारंभ करने से पहले ही निर्मित एक ऐसी व्यवस्थित रूपरेखा है, जो कुछ विशेष उद्देश्यों के संदर्भ में अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है। हमारे शोध अध्ययन में अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प व वर्णनात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जायेगा।

### 1. अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प:

जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी सामाजिक घटना में अन्तर्निहित कारणों को ढूंढ़ निकालना होता है तो उससे सम्बद्ध रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प कहते है। इस शोध अभिकल्प में शोध कार्य की रूपरेखा इस ढंग से बनाई जाती है कि घटना की प्रकृति व प्रवाह की वास्तविकताओं की खोज की जा सकें।

### 2. वर्णानात्मक शोध अभिकल्प:

वर्णानात्मक शोध अभिकल्प एक ऐसी शोध प्रविधि है, जिसका उद्देश्य यथार्थ व वास्तविक तथ्यों को संतुलित कर उनके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। वैज्ञानिक वर्णन के आधार के वास्तविक व विश्वसनीय तथ्य प्राप्त करने के लिए वर्णानात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है।

## भारत में विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी:

भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय की पहचान प्रमुख अल्संख्यक समुदाय के रूप में की गयी है बाद में जैन समुदाय को भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त हुआ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ी धर्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी कुल आबादी 17.22 करोड़ है जो कि भारत की आबादी का 14.23 प्रतिशत है। जम्मु एंड कश्मीर, लद्दाख और लक्षदीप केंद्र शासित प्रदेशों में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। ईसाई समुदाय की पहचान मुस्लिमों के बाद सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में की जाती है जिसकी आबादी 2.78 करोड़ है जो कि भारत की कुल आाबदी का 2.30 प्रतिशत है। भारत के

चार राज्यों में ईसाई समुदाय बहुसंख्यक है। सिख समुदाय भारत में जनगणना, 2011 के अनुसार तीसरी सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी आबादी 2.08 करोड़ है जो कि भारत की आबादी का 1.72 प्रतिशत है। पंजाब राज्य में सिख समुदय की पहचान बहुसंख्यक समुदाय के रूप में की जाती है। बौद्ध भारत में चौथी सबसे बड़ी धर्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी कुल आबादी 84.83 लाख है जो कि भारत की आबादी का 0.70 प्रतिशत। महाराष्ट्र में बौद्ध समुदाय की सबसे अधिक आबादी निवास करती है जो कि कुल आबादी का 5.84 प्रतिशत है जो कि भारत में कुल बौद्ध आबादी का 77 प्रतिशत है। जैन समुदाय भारत में पांचवां सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी आबादी 44.52 लाख है जो कि कुल आबादी का 0.37 प्रतिशत है। भारत में जैन समुदाय की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र में लगभग 14 लाख है जो कि कुल आबादी का 1.25 प्रतिशत है। पारसी अल्पसंख्यक समुदाय भारत में बहुत छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है जिसकी आबादी लगातार घट रही है जनगणना 2001 में पारसी समुदाय की आबादी 69 हजार 601 धाषित की गयी थी लेकिन कन 2011 के जनगणना में पारसी समुदाय की आबादी घट कर 57 हजार 264 ही रह गयी है। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने पारसी समुदाय की घटती हुई आबादी पर अपनी चिंता भी जताई है और इसके लिए नई स्कीम जियो पारसी भी शुरू किया हैं।

भारत में इन प्रमुख धार्मिक समुदाय के अलावा ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद की पहचान अन्य धर्मिक समुदाय के रूप में करतें हैं। ऐसे लोगों की कुल आबादी 79.38 लाख है जो कि कुल आबादी का 0.66 प्रतिशत है जो कि जैन समुदाय से भी अधिक है। इन समुदाय में सर्वणा अदिवासी समूह की भी आबादी है जिनकी धार्मिक मान्यतः प्रमुख धर्मिक समुदाय से कुछ अलग है इनकी अच्छी-खासी आबादी आदिवासी बहुल राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। इनकी मांग खुद को एक अलग धार्मिक समुदाय में चिन्हित करने की है। इसके अलावा भारत में कई ऐसे लोग हैं जो खुद की पहचान किसी भी धार्मिक समूहों के रूप में नहीं करना चाहते हैं ऐसे लोगों की भी देश में 28.67 लाख की आबादी है जो कि कुल आबादी का 0.24 प्रतिशत है।

### भारत में विभिन्न धामिर्क समुदाय की आबादी

| धार्मिर्क समुदाय | समुदाय की कुल आबादी | समुदाय की आबादी का प्रतिशत |
|---|---|---|
| हिन्दू | 96.62 करोड़ | 79.80 प्रतिशत |
| मुस्लिम | 17.22 करोड | 14.23 प्रतिशत |
| ईसाई | 2.78 करोड | 2.30 प्रतिशत |
| सिख | 2.08 करोड | 1.72 प्रतिशत |
| बौद्ध | 84.83 लाख | 0.70 प्रतिशत |
| जैन | 44.52 लाख | 0.37 प्रतिशत |
| अन्य समुदाय | 79.38 लाख | 0.66 प्रतिशत |
| उल्लेखित नहीं | 28.67 लाख | 0.24 प्रतिशत |

यहूदी समुदाय भी भारत में अन्य अल्पसंख्यक समुदाय में गिना जाता है जिनकी कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार केवल 4, 650 ही है। महाराष्ट्र सरकार ने 2016 (महाराष्ट्र स्टेट माईनोरिटी कमीशन एक्ट, 2004 के द्वारा ) में इन्हें राज्य में एक धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के रूप में पहचान की है। ये समुदाय भी खुद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अपनी पहचान चाहता है।

### भारत में धामिर्क अल्पसंख्यक समुदाय की शहरी एवं ग्रामीण आबादी:

भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों की आबादी के निवास में काफी भिन्नता है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की शहरी आबादी देहाती आबादी से अधिक है। सिख समुदाय को छोड़कर ज्यादातर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी शहरों में अधिक है। मुस्लिम समुदाय जो कि भारत में सबसे बड़ी धर्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है उसकी आबादी शहर में 18.23 प्रतिशत है जिसकी भारत में केवल 14.2 प्रतिशत आबादी है। मुस्लिम समुदाय की कुल आबादी का 40 प्रतिशत शहरों में रहती है (जनगण्ना 2011) अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी शहरों में अधिक होने का ऐतिहासिक कारण भी है साथ ही विभिन्न समुदाय के पेशों से भी जुड़ा हुआ है। हैदराबाद, लखनऊ, मरेठ, मुरादाबाद, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय की अच्छी आबादी है (गेयर और जेफरेल टे, 2012)

इसी तरही ईसाई समुदाय की शहरी आबादी भी 2.69 प्रतिशत है जो कि भारत में समुदाय की कुल आबादी से अधिक है। जैन समुदाय के लोगों का निवास शहरों में ही होता है कुल जैन समुदाय की 80 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। जैन समुदाय की शहरी आबादी 35.47 लाख है जो कि भारत में जैन समुदाय की शहरी आबादी का प्रतिशत 0.96 होता है। बौद्ध समुदाय की भी आबादी शहरों में अधिक है। 43 प्रतिशत बौद्ध समुदया के लोग शहरों में रहतें है। कुल भारत की शहरी आबादी में बौद्ध समुदाय की आबादी 0.96 प्रतिशत है । पारसी समुदाय की भी आबादी शहरी है ज्यादातर पारसी महाराष्ट्र के शहरों में रहतें है।

### भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की शहरी आबादी

| धर्मिक समुदाय | कुल आबादी | आबादी में प्रतिशत |
|---|---|---|
| सभी समुदाय | 37.71 करोड़ | 100 प्रतिशत |
| हिन्दू | 28.22 करोड़ | 74.82 प्रतिशत |
| मुस्लिम | 6.87 करोड़ | 18.23 प्रतिशत |
| ईसाई | 1.12 करोड़ | 2.96 प्रतिशत |
| सिख | 59.02 लाख | 1.57 प्रतिशत |
| बौद्ध | 36.28 लाख | 0.96 प्रतिशत |
| जैन | 35.47 लाख | 0.94 प्रतिशत |
| अन्य समुदाय | 7.39 लाख | 0.20 प्रतिशत |
| उल्लेखित नहीं | 12.24 लाख | 0.32 प्रतिशत |

स्रोत: भारतीय जनगणना, 2011 देंखें

धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी का घनत्व देहाती इलाकों में शहरों से कम है। मुस्लिम समुदाय जो कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है उसकी देहाती आबादी भारत की आबादी का केवल 12.41 प्रतिशत है। इसी तरह ईसाई समुदाय भारत की देहाती आबादी में केवल 2.00 प्रतिशत हैं। जैन समुदाय की देहाती आबादी केवल 9.04 लाख है जो कि कुल आबादी का 0.11 प्रतिशत है और बौद्ध समुदाय की देहाती आबादी 0.58 प्रतिशत है। केवल सिख अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी देहाती आबादी भारत में शहरी आबादी से अधिक है। सिख समुदाय की कुल आबादी देहातों में 1.49 करोड़ है जो कि देश की कुल शहरी आबादी का 1.79 प्रतिशत है। सिख समुदाय में केवल 28 प्रतिशत लोग ही शहरों में रहतें है दूसरे समुदाय में अधिक अनुपात में लोग शहरों में बसते है। इसका कारण सिख समुदाय के लोंगों का खेती-किसानी के पेशे से जुड़ा होना है। पंजाब सूबे में मुख्यतः लोग खेती-किसानी पर अश्रित हैं इसलिए सिख समुदाय की देहाती आबादी शहरी आबादी से अधिक है।

### भारत में धार्मिर्क अल्पसंख्यकों की देहाती आबादी

| धर्मिक समुदाय | कुल आबादी | आबादी में प्रतिशत |
|---|---|---|
| सभी समुदाय | 83.38 करोड़ | 100 प्रतिशत |
| हिन्दू | 68.41 करोड | 82.05 प्रतिशत |
| मुस्लिम | 10.35 करोड | 12.41 प्रतिशत |
| ईसाई | 1.67 करोड | 2.00 प्रतिशत |
| सिख | 1.49 करोड | 1.79 प्रतिशत |
| बौद्ध | 48.15 लाख | 0.58 प्रतिशत |
| जैन | 9.04 लाख | 0.11 प्रतिशत |
| अन्य समुदाय | 72 लाख | 0.86 प्रतिशत |
| उल्लेखित नहीं | 16.44 लाख | 0.20 प्रतिशत |

स्रोत: भारतीय जनगणना, 2011

## भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशोंमेंधार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय:

भारत के अधिकतर राज्यों में हिन्दू समुदाय बहुसंख्यक समुदाय है लेकिन कन विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी भी राज्यों में ठीकठाक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत के चार राज्यों में इसाई समुदाय बहुसंख्यक है इसके अलावा पंजाब राज्य में सिख समुदाय बहुसंख्यक है। देश के तीन केंद्र शासित प्रदेशों जम्मु एंड कश्मीर, लद्दाख और लक्षदीप में मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है। देश के 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिन्दू समुदाय संख्या में अल्पसंख्यक है जिसे लेकर अल्पसंख्यक विमर्श में एक नई बहस शुरू हुई है। अब भाषाई अल्पसंख्यकों समूहों की तरह ही धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को राज्यों में उनकी आबादी के आधार पर पहचान कर उनको परिभाषित करने की मांग उठ रही है। मुस्लिम समुदाय देश का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है। देश के तीन केंद्रशासित प्रदेशों जम्मु एंड कश्मीर, लद्दाख और लक्षदीप में अपनी आबादी में बहुसंख्यक है। इसके अलावा असम में 34.22 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 27.01 प्रतिशत, केरल 26.56 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश 19.26 प्रतिशत और बिहार 16.87 में प्रतिशत के साथ इन राज्यों में प्रमुख धार्मिक अल्पंसख्यक समुदाय की हैसियत रखता है। जनसंख्या के हिसाब से देश में सबसे अधिक मुस्लिम समुदाय उत्तरप्रदेश में 3 करोड़ 84 लाख निवास करता है। इसके बाद दूसरे नबंर पर समुदाय की आबादी पश्चिम बंगाल में 2 करोड़ 46 लाख है तीसरे नंबर पर बिहार राज्य में 1 करोड़ 75 लाख के आसपास है। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय की आबादी चौथे नंबर पर 1 करोड़ 29 लाख है। असम में मुस्लिम समुदाय की आबादी 1 करोड़ के लगभग है और केरल में 88 लाख के लगभग मुस्लिम समुदाय के आबादी है। (जनगणना, 2011) इसाई समुदाय देश के चार राज्यों में बहुसंख्यक है इसके अलावा मणिपुर, केरल, गोवा और अंडमान एंड निकोबार आईलैंड में ईसाई समुदाय की ठीक-ठाक आबादी है और इन राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में ईसाई समुदाय प्रमुख अल्पसंख्यक समुदाय है। यहां इसाई समुदाय अपनी सामाजिक और राजनीतिक शक्ति रखता है।

## भारत के विभिन्न राज्योंऔर केंद्र शासित प्रदेशोंमें धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी

| | राज्य | कुल आबादी | हिन्दू | मुस्लिम | ईसाई | सिख | बौद्ध | जैन | अन्य समुदाय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उत्तरप्रदेश | 19.98 करोड़ | 79.73 | 19.26 | 0.18 | 0.32 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| 2 | महाराष्ट्र | 11.24 करोड़ | 79.83 | 11.54 | 0.96 | 0.20 | 5.81 | 1.25 | 0.16 |
| 3 | बिहार | 10.41 करोड़ | 82.69 | 16.87 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 4 | पश्चिम बंगाल | 9.13 करोड़ | 70.54 | 27.01 | 0.72 | 0.07 | 0.31 | 0.07 | 1.03 |
| 5 | आंध्राप्रदेश | 8.46 करोड़ | 88.46 | 9.56 | 1.34 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 6 | मध्यप्रदेश | 7.26 करोड़ | 90.89 | 6.57 | 0.29 | 0.21 | 0.30 | 0.78 | 0.83 |
| 7 | तमिलनाडू | 7.21 करोड़ | 87.58 | 5.86 | 6.12 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.01 |
| 8 | राजस्थान | 6.85 करोड़ | 88.49 | 9.07 | 0.14 | 1.27 | 0.02 | 0.91 | 0.01 |
| 9 | कर्नाटका | 6.11 करोड़ | 84.00 | 12.92 | 1.87 | 0.05 | 0.16 | 0.72 | 0.02 |
| 10 | गुजरात | 6.04 करोड़ | 88.57 | 9.67 | 0.52 | 0.10 | 0.05 | 0.96 | 0.03 |
| 11 | उड़ीसा | 4.20 करोड़ | 93.63 | 2.17 | 2.77 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 1.14 |
| 12 | केरल | 3.34 करोड़ | 54.73 | 26.56 | 18.38 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 13 | झारखंड | 3.30 करोड़ | 67.83 | 14.53 | 4.30 | 0.22 | 0.03 | 0.05 | 12.84 |
| 14 | असम | 3.12 करोड़ | 61.47 | 34.22 | 3.74 | 0.07 | 0.18 | 0.08 | 0.09 |
| 15 | पंजाब | 2.77 करोड़ | 38.49 | 1.93 | 1.26 | 57.69 | 0.12 | 0.16 | 0.04 |
| 16 | छत्तीसगढ़ | 2.55 करोड़ | 93.25 | 2.02 | 1.92 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 1.94 |
| 17 | हरियाणा | 2.54 करोड़ | 87.46 | 7.03 | 0.20 | 4.91 | 0.03 | 0.21 | 0.01 |
| 18 | दिल्ली | 1.68 करोड़ | 81.68 | 12.86 | 0.87 | 3.40 | 0.11 | 0.99 | 0.01 |
| 19 | जम्मू एंड कश्मीर | 1.25 करोड़ | 28.44 | 68.31 | 0.28 | 1.87 | 0.90 | 0.02 | 0.01 |
| 20 | उत्तराखंड | 1.01 करोड़ | 82.97 | 13.95 | 0.37 | 2.34 | 0.15 | 0.09 | 0.01 |
| 21 | हिमाचल प्रदेश | 68.65 लाख | 95.17 | 2.18 | 0.18 | 1.16 | 1.15 | 0.03 | 0.01 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | त्रिपुरा | 36.74 लाख | 83.40 | 8.60 | 4.35 | 0.03 | 3.41 | 0.02 | 0.04 |
| 23 | मेघालय | 29.67 लाख | 11.53 | 4.40 | 74.59 | 0.10 | 0.33 | 0.02 | 8.71 |
| 24 | मणिपुर | 28.56 लाख | 41.39 | 8.40 | 41.29 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | 8.19 |
| 25 | नागालैंड | 19.79 लाख | 8.75 | 2.47 | 87.93 | 0.10 | 0.34 | 0.13 | 0.16 |
| 26 | गोवा | 14.59 लाख | 66.08 | 8.33 | 25.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.02 |
| 27 | अरुणाचल प्रदेश | 13.84 लाख | 29.04 | 1.95 | 30.26 | 0.24 | 11.77 | 0.06 | 26.20 |
| 28 | पोंडीचेरी | 12.48 लाख | 87.30 | 6.05 | 6.29 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.01 |
| 29 | मिजोरम | 10.97 लाख | 2.75 | 1.35 | 87.16 | 0.03 | 8.51 | 0.03 | 0.07 |
| 30 | चंडीगढ़ | 10.55 लाख | 80.78 | 4.87 | 0.83 | 13.11 | 0.11 | 0.19 | 0.02 |
| 31 | सिक्किम | 6.11 लाख | 57.76 | 1.62 | 9.91 | 0.31 | 27.39 | 0.05 | 2.67 |
| 32 | अंडमान | 3.81लाख | 69.54 | 8.52 | 21.28 | 0.34 | 0.09 | 0.01 | 0.15 |
| 33 | दादर एंड नागर हवेली | 3.44 लाख | 93.93 | 3.76 | 1.49 | 0.06 | 0.18 | 0.35 | 0.09 |
| 34 | दमन और दीव | 2.43 लाख | 90.50 | 7.92 | 1.16 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.03 |
| 35 | लक्षद्वीप | 64.47 हजार | 2.77 | 96.58 | 0.49 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |

स्राते: भारतीय जनगणना, 2011

सिख अल्पसंख्यक समुदाय पंजाब में बहुसंख्यक है। समुदाय की कुल आबादी पंजाब में 1 करोड़ 60 लाख के लगभग है जो कि राज्य की कुल आबादी का 57.69 प्रतिशत है। इसके अलावा सिख समुदाय की ठीकठाक आबादी चंदीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में 1 लाख 38 हजार है जो लगभग चंदीगढ़ की आबादी का 13.11 प्रतिशत है। इसके अलावा हरियाणा में समुदाय की आबादी 4.91 प्रतिशत और दिल्ली में 3.40 प्रतिशत की आबादी है। उत्तराखंड में सिख समुदाय की आबादी 2.84 प्रतिशत है। देश के बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सिख समुदाय की आबादी नगन्य है।34 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां धर्मिक अल्पसंख्यक समुदाय संख्याबल में बहुसंख्यक हैं।

उत्तर प्रदेश में बांग्ला, पंजाबी, उर्दू, सिंधि, नेपाली, मराठी, मैथिली और मलयालम प्रमुख भाषाई अल्पसंख्यक समूह है जिनकी आबादी हिन्दी भाषी के बाद राज्य में है। इनमें सबसे बड़ा भाषाई समूह उर्दू भाषी समूह है और इसके बाद बांग्ला भाषी समूह है।

## बनारस में अल्पसंख्यक:

बनारस जिले की कुल जनसंख्या 36,76,841 है। उत्तर प्रदेश, आबादी के लिहाज से 18वां सबसे बड़ा जिला है। बनारस दुनिया भर में अपनी विविधता और सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। बनारस में यू तो हिंदू समुदाय बहुसंख्यक है लेकिन बनारस कई सारे धर्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों का भी लंबे समय से घर रहा है। बनारस जिले की कुल आबादी में एक बड़ा हिस्सा धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों का भी है। बनारस जिले में सबसे बड़े धर्मिक अल्पसंख्यक समूह के रूप में मुस्लिम समुदाय की पहचान होती है जिसकी आबादी बनारस में 5 लाख 46 हजार है जो कि जिले की कुल आबादी का 14.88 प्रतिशत है (जनगणना, 2011)। इसके बाद बनारस में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह के रूप में ईसाई समुदाय के पहचान होती है जिनकी आबादी बनारस में 7,696 है जो कि कुल आबादी का 0.21 प्रतिशत है। बनारस 3 हजार सिख धर्म के अनुयायियों का भी घर है जिनकी जिले में आबादी लगभग 0.09 प्रतिशत है। जैन समुदाय की बनारस में जनसंख्या 1,898 है जो कि बनारस जिले की आबादी का 0.05 प्रतिशत है। बनारस बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है यहीं सारनाथ में अशोका स्तंभ है। बनारस में बौद्ध अनुयायी करीब 1,146 है जो जिले की कुल आबादी का 0.03 प्रतिशत है। बहुत सारे ऐसे भी लोग बनारस में है जो किसी भी समुदाय से खुद को चिन्हित नहीं करते वेसे लोगा भी बनारस में काफी है उनकी आबादी 7,826 है (जनगणना, 2011)।

बनारस जिले में विभिन्न धार्मिक समुदाय की कुल आबादी

| | | |
|---|---|---|
| बनारस जिले की कुल जनसंख्या | 36,76,841 | जनसंख्या में प्रतिशत |
| बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय | 3107681 | 84.52 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| मुस्लिम समुदाय | 546987 | 14.88 प्रतिशत |
| ईसाई समुदाय | 7696 | 0.21 प्रतिशत |
| सिख समुदाय | 3309 | 0.09 प्रतिशत |
| बौद्ध समुदाय | 1146 | 0.03 प्रतिशत |
| जैन समुदाय | 1898 | 0.05 प्रतिशत |
| अन्य समुदाय | 298 | 0.01 प्रतिशत |
| उल्लेखित नहीं | 7826 | 0.21 प्रतिशत |

स्रोत:जनगणना 2011, देखें

बनारस में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय बनारस जिले में हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की भी आबादी ठीक-ठाक है। बनारस जिले में लगभग 5 लाख के करीब अल्पसंख्यक समुदाय की भी आबादी है। कुछ इलाका/नगर/क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत अच्छी आबादी है और कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय ही बहुसंख्या में है। बनारस जिल के कोटवा क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय सबसे अधिक 80.76 प्रतिशत है जो कि बहुसख्ंयक समुदाय से बहुत ज्यादा है। इसके अलावा लोहटा इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी 76.74 प्रतिशत है। हरपालपुर इलाके में मुस्लिम समुदाय 77.72 प्रतिशत और काकरमत्ता क्षेत्र में 43.73 प्रतिशत है। बनारस जिले के सराय मोहना क्षेत्र में, चितपुर और कंडवा में मुस्लिम समुदाय की आबादी नदारद है। बनारस जिले में दूसरे प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यक समूह की आबादी बहुत कम है। धर्मिक समूहों की आबादी बनारस जिले के ज्यादातर इलाके में 1 प्रतिशत भी नहीं है। ईसाई समुदाय की आबादी सबसे अधिक वाराणासी कंटोनमटे एरिया में 3.93 प्रतिशत है जो कि जिले में सबसे अधिक इसके अलावा किसी भी इलाका में ईसाई समुदाय की आबादी 1 प्रतिशत से अधिक नहीं है। जैन समुदाय की सबसे अधिक आबादी गंगापुर में 0.93 प्रतिशत है जो कि जिले में सबसे अधिक है। सिख अल्पसंख्यक समुदाय की सबसे अधिक आबादी रामनगर में 0.43 प्रतिशत है। बौद्ध समुदाय की आबादी सबसे अधिक वाराणासी शहर में 0.4 प्रतिशत और गौराकलां में 0.43 प्रतिशत हैं इसके अलावा बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आबादी नगण्य है।

बनारस जिले के विभिन्न नगरों/ कसबों में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी

| नगर | कुल आबादी | हिंदू | मुस्लिम | ईसाई | सिख | बौद्ध | जैन | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वारणासी | 1198491 | 70.11 | 28.82 | 0.34 | 0.22 | 0.4 | 0.12 | 0.02 |
| रामनगर | 49132 | 75.99 | 23.41 | 0.10 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| लोहटा | 25596 | 23.46 | 76.34 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| फुलवारिया | 20466 | 87.47 | 11.91 | 0.37 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| शिवदासपुर | 16405 | 96.64 | 4.68 | 0.09 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| सुज़ाबाद | 15384 | 86.89 | 12.89 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| कोटवा | 14,394 | 18.29 | 80.76 | 0.88 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| रले वे सेटेलमेंट | 14,298 | 89.92 | 7.30 | 2.27 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.01 |
| वराणासी कंटोनमेंट | 14,119 | 76.79 | 18.97 | 3.93 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| बेनीपुर | 12,470 | 78.53 | 20.90 | 0.48 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| चितपुर | 12,156 | 97.11 | 2.55 | 0.03 | 0.21 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| कंडवा | 11,685 | 97.31 | 2.35 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| बारागांव | 11,383 | 84.22 | 15.6 | 6 .03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| सिरगोबर्धण | 11,350 | 99.44 | 0.39 | 0.11 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| मरूवाडिह | 11,228 | 90.79 | 8.90 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.00 |
| सुसवाही | 10,454 | 98.16 | 1.16 | 0.42 | 0.17 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सालारपुर | 10,126 | 99.74 | 0.15 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| बिरभानपुर | 8,233 | 94.07 | 5.88 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| हरपालपुर | 7,710 | 21.96 | 77.72 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| गंगापुर | 7,561 | 77.17 | 21.80 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
| काकरमत्ता | 7,377 | 55.62 | 43.73 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| भगवानपुर | 7,269 | 98.01 | 1.57 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| लेरहुपुर | 6,934 | 78.84 | 20.97 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| अमारा खैराचक | 6,577 | 96.61 | 3.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| डमरहा | 6,429 | 87.85 | 12.04 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 00 | 00 |
| चंदपुर | 6,427 | 98.49 | 0.37 | 0.72 | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 00 |
| दिनदासपुर | 6,352 | 64.37 | 35.26 | 0.33 | 0.00 | 0.03 | 00 | 00 |
| कल्लीपुर | 6,295 | 90.53 | 9.36 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| चित्तौनी | 6,195 | 71.54 | 28.26 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| टसापुर | 6,153 | 95.11 | 3.80 | 0.88 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| जलाल पटटी | 6,033 | 96.39 | 3.25 | 0.05 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| क्चनार | 5,870 | 96.87 | 2.93 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कोटवा | 5,825 | 99.83 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| महेशपुर | 5,553 | 93.48 | 6.28 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.00 |
| क्सारीपुर | 5,381 | 99.81 | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 00 | 00 | 00 |
| परामानंदपुर | 5,139 | 84.67 | 15.18 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.0 | 0.02 |
| लहरतारा | 5,124 | 98.81 | 0.62 | 0.35 | 0.06 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| सराय मोहाना | 4,824 | 99.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| गौरा कला | 4,653 | 98.00 | 1.27 | 0.30 | 0.00 | 0.43 | 0.0 | 0.0 |

स्त्रोत=जनगणना (२०११)

## बनारस में भाषाई अल्पसंख्यक समूह:

बनारस में हिन्दी भाषाई सूमह बहुसंख्यक हैं लेकिन कई प्रमुख भाषाई सूमह भी बनारस में निवास करते हैं। बनारस पर हुए कई शोधों में इस बात का खुलासा हुआ है कि (आचार्य, 2005, सिन्हा, 2002, ) बनारस हमेशा से अलग अलग भाषाई समूह का घर रहा हैं। बनारस में अच्छी खासी आबादी उर्दू जबान बोलने वाले लोगों की है जो कि शहर के मदनपुरा, रवेड़ी तालाब, लोहता, बजरडीहा,शिवाला, जैतपुरा, लल्लापुरा इलाके में निवास करते हैं। उर्दू भाषाई सूमह बनारस में सबसे बड़े भाषाई अल्पसंख्यक समूह हैं। इसके अलावा बंगाली भाषाई समूह की भी अच्छी ,खासी आबादी है जो कि बनारस के बंगाली टोला, दवे नाथपुरा, केदारघाट, पाण्डेय हवेली, गंगामहल, भेलुपुरा, शिवाला, सोनारपुरा, हरिश्चन्द्र घाट, चौसट्टी घाट इलाके में रहते है। इसके अलावा दक्षिण भारतीय भाषाई समुदाय हनुमानघाट, केदारघाट, नारदघाट, दुर्गाघाट, मीरघाट, मानसरोवरघाट में निवास करता है। मैंथिली समुदाय दरभंगा घाट पर रहते है। इसके अलावा बनारस में पंजाबी, मराठी, गुजराती, सिंधी और समुदाय प्रमुख भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में चिन्हित किए जाते है।

**वाराणसी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले विभिन्न भाषिक समुदाय**

| अल्पसंख्यक भाषाई समुदाय | बनारस में उनका निवास स्थान |
|---|---|
| बंगाली | बंगाली टोला, दवे नाथपुरा, केदारघाट, पाण्डेय हवेली, गंगामहल, भेलुपुरा, शिवाला, सोनारपुरा, हरिश्चन्द्र घाट, चौसट्टी घाट |
| मराठी | दुर्गाघाट, ब्रम्हाघाट, अगत्स्य कुण्ड |
| गुजराती | चौखम्बा, गायघाट, पक्कामहाल |
| पंजाबी | लाहौरी टोला, सिगरा, ब्रम्हनाल, गायघाट, गुरुबाग |
| सिन्धी | गुरुबाग, दशाश्वमेध, सिद्धगिरीबाग |
| मैथिली | दरभंगा घाट |
| दक्षिण भारतीय भाषाई समुदाय | हनुमानघाट, , नारदघाट, दुर्गाघाट, मीरघाट, मानसरोवरघाट |
| नेपाली | नेपाली खपरा, दूधविनायक |
| कश्मीरी | लाहोरी टोली |
| उर्दू भाषाई | मदनपुरा, रवेड़ी तालाब, लोहता, बजरडीहा,शिवाला, जैतपुरा, लल्लापुरा |

**स्रोत**: अंकिता आचार्य (2005), पीएचडी थेसिस, 'वाराणसी शहर के मुख्य अल्पसंख्यक भाषा भाषी समाजों का समाजभाषिक अनुशीलन, लखनऊ विश्वविद्यालय

## निष्कर्ष:

अल्पसंख्यकों की पहचान और उनके अधिकार का प्रश्न 19वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों और क़ानूनों में प्रमुख स्थान पाया और क़ानून दस्तावेजों का हिस्सा बना। इससे पहले यूरोपिय देशों के बीच हुई 16वीं और 17वीं शताब्दी में भी अल्पसंख्यकों के संबंध में चर्चा मिलती हैं। लेकिन 19वीं सदी के शुरूआत से ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एजेंडे में आ गया। प्रथम विश्वयुद्ध के समय सहयोगी शक्तियों(मित्र राष्ट्रों) और केन्द्रीय शक्तियों के बीच हुई संधियों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 8 पोलिश नागरिक जो नसलीय, धार्मिक, जातीय और भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से हैं उन्हें दूसरे पोलिश नागरिको की तरह समान काननू अधिकार हैं। उन्हें खासकर अपने धार्मिक,सामाजिक, धर्मार्थ संस्थाओं, स्कूलों और दूसरे शैक्षिणक संस्थाओं को स्थापित करने और उनकी देखभाल करने का पूरा अधिकार है। अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा के उपयोग और अपने धर्म की स्वतत्रंता का भी पूरा अधिकार है।

## सन्दर्भ सूची


- अंसारी, इकबाल (1996) (सं), रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे , वॉल्यमू 1, नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी
- अहदम, इमतियाज़ (सं)(1978). कॉस्ट एण्ड सोशल स्ट्राटिफिकेशन एमगं मुस्लिम इन इंडिया. नई दिल्लीः मनोहर पब्लिके शन
- एलियाज, बोनिटा (2002). इंडियन क्रिसचियन टुडे. हुसैन, मुनिरुल और घोष, लीपी (सं), रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन
- कैपेटोरटी, फ्रांसिस (1996). रिपोर्ट ऑफ दॉ सब कमीशन. अंसारी, इकबाल (1996) (सं), रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे , वॉल्यमू 1, नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी
- गेयर और जेफरले टे (2012) मुस्लिम इन इंडिया ट्रैजेकट्री आफ मार्जीलाइजेशन, सी हस्ट और को पब्लीशर, नंइ दिल्ली उत्तर प्रदेश
- चौधरी, सुकोमाल (2002). बुद्धिस्ट एज़ माइनोरिटीज़ इन इंडिया. मुनिरुल हुसैन और घोष, लीपी (सं), रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन
- रिसेल होप हर्बट (1915), दॉ पीपल ऑफ इंडिया, हावर्ड युनिवर्सिटी

- जैन, रेनू (2002). केस आफ जैन इन इंडिया. मुनिरुल हुसैन और घोष, लीपी (सं), रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन
- जेफरलेट, क्रिस्टोफर और कुमार, नरेंद्र (2018). डॉ अम्बेडकर एण्ड डेमोक्रेसी. ऑक्सफोर्डः ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत सरकार, जनगणना 2011,
- भारत सरकार के दस्तावेज़, कमीशनर फॉर लिगं वेसटिक माईनोरिटी की 52वीं रिपोर्ट (2014-2015)
- तिवारी, रमेश नारायण, भारतीय भाषाएँ, प्रकाशन विभाग, सचू ना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाउस, नंई दिल्ली।
- दास, जेके (2011). इंडीजीनियस पीपुल्स एंड हयूमन राइटस. नई दिल्लीः एपीएच पब्लिीशिंग कोर्पोरेशन
- पैले केलयेर (1996), कंस्टीटयूशनल लॉ एण्ड मोनोरिटी. रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे (सं), वॉल्यमू 1. नई दिल्ली:इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी.
- फीलिप्स, अलान (1996). माईनोरिटीज़ राईट एण्ड दॉ युनाईटडे नेशन . रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे (सं), वॉल्यमू 1. नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी
- फीलिप्स, अलान (1996). दॉ प्रोटेकशन ऑफ माइनोरिटीज़ एण्ड इंटरनेशनल रिसपांस. रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे (सं), वॉल्यमू 1. नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी
- फिलिप, के हित्ती (1970). हिस्ट्री ऑफ दॉ अरब. लदं नः मैकमिलन एडूकेशन
- भरत, राजेंद्र कृष्णा (2014), कंस्ट्रकशन ऑफ रिलीजियस माईनोरिटीज इन कांस्टीटयूटं एसेबं ली डिबेट- एन एनालिटिकल स्टडी (अनपबलिशड पीएचडी थीसिस). युनिवर्सिटी ऑफ मयसूर
- महमूद, ताहिर (2001). माईनोरिटीज़ कमीशनः माइनर रोल इन मजे र अफेयर. नई दिल्लीः फारोज पब्लिकेशन
- राबादी, एबी (2002). माईनोरिटी कम्युनिटी पारसी इन दॉ इंडियन सिनारियो. मुनिरुल हुसैन और घोष, लीपी (सं), रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्ली. मानक पबलिकेशन
- वेब्सटर, सीबी जॉन (1994). दॉ दलित क्रिसचियन. ए हिस्ट्री. नई दिल्लीः आईएसपीसीके
- वागले चार्लस एवं होरिस, मारविन (1964). माईनोरिटीज इन दॉ न्यू वर्ल्ड. न्यूयॉर्कः कोलंबिया प्रेस
- सिन्हा, अंजलि (2002) मल्टी लिगंअुलिज्म इन अर्बन वाराणसी, पी.एच.डी थीसिस (अप्रकाशित), काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।
- सोराबजी, सोली (1996). मोनोरिटीज़ नेशनल एण्ड इंटरनेशनल प्रोटेकशन. रीडिंग ऑन मानोरिटीज़ः प्रस्पेकटिव एण्ड डॉक्यूमंटे (सं), वॉल्यमू 1. नई दिल्लीः इंस्टीयूट ऑफ ओबजेकटिव स्टडी
- सिंह, खुशवंत (1991), ए हिस्ट्री आफ दॉ सिख, लदं नः आक्सफार्ड युनिवर्सिटी प्रेस
- सिंह, अमरजीत(2014), एथनिक गुप्र इन कोनफिल्कट इन इंडियाज मणिपुर, साउथ एशिया जरनल
- राय सलु भा (2018), इथनिक कानफिल्कट इन असामः इसूज कौसजे एंड रसे पोनस, दा इसटर्न एंथ्रोपोलिजिस्ट,
- हुसैन, मुनिरुल और घोष, लीपी (2002). रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन
- हुसैन, मुनिरुल (2002). मुस्लिम कोशचन इन इंडिया. हुसैन, मुनिरुल और घोष, लीपी (सं). रीलिजियस माइनोरिटी इन सउथ ऐशिया. नई दिल्लीः मानक पबलिकेशन